भागवत पटेल बनाम राज्य सरकार
प्रकरण सं. 77/2016 - 2016/00180

13/11/19 1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दावा किया कि प्रार्थी के पिता शिलाधर पुत्र बजमोहन के नियमन/आवंटन शुदा एवं कब्जे काश्त व उपभोग उपभोग की आराजी खसरा नम्बर पुराना 10 वर्तमान नवपरिवर्तित खसरा नम्बर 73/1 रकबा 12-00-00 भूमि ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज में स्थित है जिस पर प्रार्थी के पिता विगत 35-40 वर्षो से अबाध रूप से काबिज काश्त करते आ रहे थे तथा प्रार्थी के पिता के फौत होने के पश्चात उपरोक्त आराजी मे प्रार्थी निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता के नाम उक्त नियमन आदेश की पालना अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड मे नही करने से प्रार्थी के अधिकार महरूम हो गये। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी मे लगातार काबिज रहने के फलस्वरूप अप्रार्थी के न्यायालय मे राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रार्थी के पूर्वाधिकारी का कब्जा पी-15 में कब्जा तईद किया गया है एवं प्रार्थी अपने विश्वास पात्र सार संभाल करने वाले काश्तकार रामेश्वर पुत्र गणेश जाट को कृषि कार्य हेतु बांट साटे से करवाता है। क्योंकि प्रार्थी वर्णित आराजी मे विगत 30-40 वर्ष से निरन्तर अबाध रूप से काबिज है अतः धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है।

3. अप्रार्थी द्वारा जवाब मे अंकित किया कि ग्राम मदनगंज के सम्वत् 2071-72 के खसरा परिवर्तनशील मे प्रार्थी का नाम अंकित नही है तथा सरकारी भूमि बांटे साटे पर दिया जाना नियम विरूद्ध है एवं इस तरह का कोई प्रावधान नियमों में नही है। ग्राम मदनगंज के खसरा 73/1 रकबा 37-17-00

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

भूमि श्रीमान कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक / कृअ/राजस्व / एफ -12/16/107 दिनांक 14/07/2016 से राजस्व रिकॉर्ड मे अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। ~~एवं~~

4. हमने उक्त प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के संबंध मे बारीकी से अवलोकन किया गया।

5. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्थायी निषेध आज्ञा हेतु प्रार्थी को Prima facie केस, सुविधा का संतुलन एव irreparable loss सिद्ध करना होता है।

6. ~~इस प्रकरण मे~~ नियम 20 Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agri. Purpose) Rule 1970 के अंतर्गत Trespasser को जमीन का allotment किया जाता है किन्तु उसे नियम 14 मे वर्णित शर्तो की पालना करनी होती है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे ऐसा कुछ सिद्ध हो सके। कब्जे से संबंधित भी धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अधीन नोटिस मे रामेश्वर का नाम अंकित है एव हम अप्रार्थी की इस कथन से सहमत है कि सरकारी भूमि को साटे बाटे पर देना नियम ~~विरुद्ध~~ मे कोई प्रावधान नही है।

7. अत: प्रार्थी Prima facie case, सुविधा का संतुलन एव irreparable loss सिद्ध करने मे असमर्थ है।

8. अत: प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Devendra
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उप खण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2019.12.02 18:29:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: